बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–25/2015 74 पटना, दिनांक: 05.03.19

कार्यालय आदेश

श्री गुल मोहम्मद अंसारी, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–04–0324/आ० दिनांक–24.04.2015 द्वारा गठित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं०–122 सहपठित ज्ञापांक–739 दिनांक–16.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. श्री गुल मोहम्मद अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बक्सर के पत्रांक 03–2883/रा० दिनांक–05.1.2018 द्वारा निम्न जाँच प्रतिवेदन दिया गया है:–

श्री गुल मोहम्मद अंसारी, सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर, बक्सर पर 468.00 क्विंटल गेहूँ के गबन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है किन्तु आरोपित कर्मी श्री गुल मोहम्मद असारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर द्वारा अपने 468.00 क्विंटल गेहूँ के गबन से संबंधी लगाये गये आरोप के विरूद्ध इस विषयवस्तु से संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा दायर निलामपत्र वाद संख्या–41/2016–17 में मो० 6,67,387.72 (छः लाख सरसठ हजार तीन सौ सतासी रूपये बहत्तर पैसे) राशि जमा कर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से अनापत्ति /अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है आरोपित कर्मी श्री गुल मोहम्मद असारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर वर्त्तमान में सेवानिवृत हो चुके है। चूँकि आरोपित कर्मी श्री गुल मोहम्मद असारी, नावानगर द्वारा अपने उपर गठित आरोप के विरूद्ध वसूली की जानेवाली मो० 6,67,387.72 (छः लाख सरसठ हजार तीन सौ सतासी रूपये बहत्तर पैसे) राशि जमाकर अनापत्ति /अदेयता प्रमाण पत्र कर लिया गया है।

अतः श्री गुल मोहम्मद असारी, सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

3. संचालन प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार का असहमति का मुख्य बिन्दु निम्नरूपेण अभिलेखित किया गया :–

" आरोप रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में 468 क्विंटल गेहूँ के क्षति/गबन का है। यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि 468 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 6,67,387=72 (छः लाख सड़सठ हज़ार तीन सौ सत्तासी रूपये बहत्तर पैसे) होता है, के क्षति/गबन के लिए जब जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा निलाम पत्र वाद सं०–41/2016–17 दायर किया गया तब आपके द्वारा गबन की राशि जमा कर के अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इतनी बड़ी राशि लगभग चार वर्षो तक आपके कब्जे में रही, जो आरोप की पुष्टि करता है, जिसके लिये आप दोषी प्रतीत होते हैं।

4. उक्त असहमति के बिन्दु पर निदेशालय के पत्रांक–2510 दिनांक–14.12.2018 द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री गुल मोहम्मद अंसारी से प्राप्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा निम्न बातों का उल्लेख किया गया है :–

गेहूँ विपणन वर्ष 2012–13 में व्यपार मंडल, नावानगर में क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कुल 3654 क्विंटल गेहूँ का क्रय उनके द्वारा किया गया था। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से अनेकों बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी गेहूँ का उठाव नहीं किया गया और गोदाम से गेहूँ उठाव में लगभग डेढ़ वर्ष लग गया । गेहूँ उठाव में देरी होने के कारण लगभग 4000 गेहूँ के बोरी में पिल्लू लगने, चूहों के बोरा काटने एवं पिहका पिल्लू लगने से गेहूँ आटा जैसा हो गया और बरसात में आद्रता से गेहूँ काला हो गया। इसके चलते 4000 बोरियों का वजन कम हो गया जिसके लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर ने 468 क्विंटल गेहूँ का Shortage होने का उन पर आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी। प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस इन्हे प्रताड़ित करने लगी इसके चलते ये बीमार स्वरूप हो गये और अपने जीवन बचाने हेतु इनके द्वारा 468 क्विंटल Shortage का पैसा ड्राफ्ट के माध्यम से जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को जमा कर दिया । यह पैसा सेवानिवृति के पश्चात जो सरकार से मिला था उसी में से जमा कर दिया । इन तथ्यों के आलोक मे इनके द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है। ज्ञातव्य हो कि संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में निलाम पत्र दायर होने के बाद श्री अंसारी द्वारा पैसा जमा करने का उल्लेख किया गया है ।

5. श्री गुल मोहम्मद अंसारी के अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि 468 क्विंटल गेहूँ का Shortage का मुख्य कारण उठाव में देरी और अनाज की समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते श्री अंसारी की ये जिम्मेवारी बनती थी कि वे गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए समुचित उपाय करते जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार इन्होंने अपने कर्त्तव्य का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण 468 क्विंटल गेहूँ की क्षति/गबन हुई जिसके लिए दायर निलाम पत्र वाद संख्या–41/2016–17 दायर होने के बाद श्री अंसारी द्वारा मो० 6,67,387.72 (छः लाख सरसठ हजार तीन सौ सतासी रूपये बहत्तर पैसे) रूपये जमा कर दिया गया है। इस प्रकार श्री गुल मोहम्द अंसारी का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गुल मोहम्मद अंसारी पर उनके पेंशन से 20 % (बीस प्रतिशत) की कटौती अगले दस वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गुल मोहम्मद अंसारी, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नावानगर, बक्सर संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन से 20 % (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती दस वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–25/2015 4-35 पटना, दिनांक :– 05.03.19

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक 04–0324/आ०, दिनांक–24.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रंखड विकास पदाधिकारी, नावानगर प्रखंड, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री गुल मोहम्मद अंसारी, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, संप्रति सेवानिवृत, द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं इसका तामिला कराने हेतु प्रेषित।

05/03

निदेशक